फा.सं. 25/1/2016-सामान्य प्रशासन
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
*****

ब्लॉक संख्या 11 एवं 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक 7th मई, 2019

निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

अधोहस्ताक्षरी को निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों के आधार पर नीचे दी गई मदें (अनुबंध-I में संलग्न सूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) एक वर्ष तक उपलब्ध कराने के लिए विक्रेता को अधिकृत करने के लिए अनुभवी आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/एजेंसियों से **दो बोली प्रणाली** अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के अंतर्गत सीलबंद लिफाफों में निविदा आमंत्रित करने का निदेश हुआ है :

क्र.सं.	मद का वर्णन	तुरंत अपेक्षित मात्रा	भविष्य में अपेक्षित मात्रा
1.	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस	40	जब कभी विभाग को आवश्यकता हो

(अनुबंध-I में दिए गए ब्यौरे का संदर्भ लें)

2. अनुबंध-I में यथा-उल्लिखित मदों की खरीद आवश्यकता के आधार पर की जाएगी। तथापि, 40 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस की मौजूदा मांग की पूर्ति ठेकेदार द्वारा इस विभाग द्वारा ठेका दिए जाने की तारीख से 15 दिनों के अंदर की जाएगी। **इस बात पर गौर किया जाए कि ठेकेदार द्वारा उद्धृत इकाई दर, आवश्यकता पड़ने पर आगे खरीद करने के प्रयोजन हेतु इस विभाग द्वारा ठेका दिए जाने की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगी** और यह ठेका उसी दर, ठेके के इन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते, कार्य निष्पादन निरंतर संतोषजनक रहा हो। अनुबंध के उल्लंघन की दशा में या न्यूनतम अपेक्षाओं/विधायी अपेक्षाओं की पूर्ति न करने के मामले में ग्राहक को ग्राहक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वयं के विवेक पर ठेकेदार द्वारा जमा की गई कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने और काली सूची में डालने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई आरंभ करने आदि के अतिरिक्त ठेके को तुरंत समाप्त करने का अधिकार होगा। अपेक्षित मदें **अनुभाग अधिकारी (प्रशासन), कमरा सं. 211 एवं 212, ब्लॉक संख्या 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली** के सुपुर्द करनी होंगी।

3. पात्र फर्में अपनी कोटेशन्स **अवर सचिव (प्रशासन), कमरा सं. 221, ब्लॉक संख्या 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली** को 07.05.2019 से 27.05.2019 को अपराहन 3:00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में भेज सकते हैं। एजेंसियों को दो अलग-अलग लिफाफे भेजने की सलाह दी जाती है जिनके ऊपर लिखा हो "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली"। दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए और इसके ऊपर **"माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।**

<u>निबंधन और शर्तें</u> :

1. निविदा की तैयारी और प्रस्तुतिकरण :

- निविदा को दो भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को बोलीदाता द्वारा दो अलग-अलग लिफाफों में सील किया जाना चाहिए " माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस के लिए तकनीकी बोली" और " माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस के लिए वित्तीय बोली"। दोनों सीलबंद लिफाफों को मुख्य/बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर मोटे अक्षरों में **"माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस के लिए निविदा"** लिखा हुआ हो।
- सभी सीलबंद लिफाफों पर बोलीदाता का नाम और पता भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
- सभी आंतरिक लिफाफों की सामग्री को सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए।
- सभी बोलियों को केवल सीलबंद प्रारूप में ही स्वीकार किया जाएगा।

2. बोली में शामिल दस्तावेज : बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोलियों में (1) तकनीकी बोली और (2) वित्तीय बोली शामिल होंगी :

(I) तकनीकी बोली : - तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करने के लिए फर्म के पास निम्नानुसार न्यूनतम पात्रता मानदंड होने चाहिएं और इस संबंध में फर्म को अपनी पात्रता से संबंधित मापदंडों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिएं : -

(क) अनुबंध- II के अनुसार तकनीकी बोली का विधिवत भरा हुआ प्रारूप।

(ख) बोलीदाता के संविधान या कानूनी स्थिति की प्रतिलिपि - निर्माता/एकल स्वामित्व/फर्म/एजेंसी आदि।

(ग) तकनीकी बोली के साथ धरोहर राशि के लिए 40,000/- (केवल चालीस हजार रुपए) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)" के पक्ष में आहरित होना चाहिए।

(घ) निर्माता/अधिकृत वितरक/प्राधिकृत व्यापारी/अधिकृत उप-व्यापारी का प्रमाण पत्र।

(ङ) पैन कार्ड की प्रति।

(च) जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

(छ) कंपनी के मामले में यदि फर्म विधिवत प्रमाणित समझौता ज्ञापन एवं नियमावली की साझेदार कंपनी है तो साझेदारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति।

(ज) दिए गए अनुबंधों के अनुसार प्रमाण पत्र।

(झ) विधिवत हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज और उनके अनुबंध।

(II) वित्तीय बोली : वित्तीय बोली में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) मूल्य बोली प्रपत्र [अनुबंध-IV के अनुसार] - मूल्य विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार उद्धृत किया जाना चाहिए; अन्यथा निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. धरोहर राशि : बोलीदाता को 40,000 रु. (केवल चालीस हजार रूपये) की धरोहर राशि केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट **"आहरण एवं संवितरण अधिकारी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)"** के पक्ष में आहरित किया जाएगा। धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी बोली वाले लिफाफे में संलग्न किया जाना चाहिए। सफल बोलीदाता की धरोहर राशि बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमा करने के बाद और असफल बोलीदाता (ओं) की धरोहर राशि ठेका दिए जाने के बाद वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट के बिना प्राप्त बोली (ओं) को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

- बोलीदाता को अपना प्रस्ताव वापस लेने या उसके नियमों और शर्तों को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता इसमें दी गई शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या दरें उद्धृत करने के बाद अपना नाम वापस ले लेता है तो पूर्वोक्त धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा जारी एमएसई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में यथा-परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के बोलीदाताओं या केन्द्रीय खरीद संगठन के पास पंजीकृत बोलीदाताओं या संबंधित मंत्रालय/विभाग से संबंधित बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट है।
- असफल बोलीदाताओं के मामले में धरोहर राशि दीपम द्वारा तब तक अपने पास रखी जाएगी जब तक निविदा को अंतिम रूप न दे दिया जाए। धरोहर राशि पर दीपम द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. निविदा दस्तावेजों को 07.05.2019 से 27.05.2019 (अपराह्न) 3:00 बजे तक http//eprocure.gov.in/eprocure/app और/या विभाग की वेबसाइट (dipam.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. इच्छुक बोलीदाताओं के साथ "बोली पूर्व बैठक" दिनांक 14 मई, 2019 को अपराह्न 3:00 बजे दीपम (कमरा सं. 221) में आयोजित की जाएगी।

6. दर : दरें दीपम, दिल्ली में डोर डिलीवरी बेसिस पर केवल भारतीय रुपए (INR) में उद्धृत की जानी चाहिए और सफल बोलीदाता को भुगतान भी केवल भारतीय रुपये में ही किया जाएगा। जहां आंकड़ों और शब्दों में दी गई दरों में भिन्नता हो तो दोनों में से कम दर को वैध और सही दर माना जाएगा।

7. कर : कोई भी देय कर स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए अन्यथा विभाग द्वारा किसी कर/प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

8. बोलीदाता मूल उपकरण यानी माइक्रोसॉफ्ट निर्माता या उनका अधिकृत वितरक/डीलर/सब-डीलर होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र के बिना बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9. निविदा खोलना : तकनीकी बोलियां स्वयं बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस विभाग की बोली खोलने वाली समिति द्वारा दिनांक 27.05.2019 को अपराह्न 4:00 बजे खोली जाएंगी। निविदा खोलते समय बोलीदाता की ओर से उपस्थित होने वाले प्रतिनिधियों को बोलीदाता से अधिकार पत्र और पहचान का प्रमाण अपने साथ लाना चाहिए। विलंब से प्राप्त निविदाओं को दीपम द्वारा अनदेखा कर दिया जाएगा। इसके अलावा, दीपम उन निविदाओं के लिए कोई देयता या उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है जिन्हें ठीक प्रकार से सील और अंकित न किया गया हो और/या इस प्रकार भेजा गया हो। **निविदा खोलने वाली समिति द्वारा केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां स्वीकार की गई हों।**

10. बोलीदाताओं के लिए तकनीकी मूल्यांकन के दौरान उद्धृत मॉडल को निःशुल्क प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है, इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। फर्मों को सूचित किया जाता है कि वे इस प्रदर्शन के लिए तैयारी कर लें और प्रदर्शन की व्यवस्था के लिए केवल एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाएगा और प्रदर्शन के लिए समय बढ़ाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन करने में विफल होने पर उनकी बोलियों/प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11. विनिर्देशन : ठेकेदार को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उनके द्वारा आपूर्तित और स्थापित वस्तुएं अनुबंध-"I" में उल्लिखित सामान के विनिर्देशन के अनुसार होंगी और किसी भी भिन्नता के मामले में अनुबंध को तुरंत रद्द किया जा सकता है। सुरक्षा सह-कार्यनिष्पादन गारंटी भी जब्त कर ली जाएगी।

12. माल की गुणवत्ता : आपूर्तित वस्तुओं/सामग्री की गुणवत्ता के लिए फर्म पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। आपूर्तिकर्ता को अस्वीकृत/क्षतिग्रस्त सामान को 10 दिनों के भीतर बदलना होगा अन्यथा दीपम द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा।

13. वैधता : प्रत्येक बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरें (वित्तीय मूल्यांकन/एल -1 तय करने के प्रयोजन हेतु जैसाकि इस निविदा दस्तावेज के पृष्ठ सं. 7 के पैरा 27 में उल्लिखित है) निविदा को बंद करने या निविदा प्रक्रिया की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। अनुबंध का समग्र प्रस्ताव और बोलीदाता (ओं) द्वारा उद्धृत मूल्य वैधता की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। यदि बोलीदाता अपेक्षित अवधि की तुलना में कम

वैधता उद्धृत करता है तो इसको अनुत्तरदायी माना जाएगा और इसे अस्वीकार किया जा सकता है। यदि निविदाकर्ता वैधता अवधि के दौरान अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है, संशोधित या परिवर्तित कर देता है तो बोली को अस्वीकार किया जा सकता है और धरोहर राशि को उसका कारण बताए बिना जब्त कर लिया जाएगा । यदि आवश्यक हो, तो निविदाकर्ता को अपने मूल निविदा के किसी भी नियम, शर्तों आदि को बदले बिना इसकी वैधता का विस्तार करने के लिए भी तैयार होना चाहिए।

14. दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार : बोलीदाता की ओर से निविदा प्रपत्र या अनुबंध का हिस्सा बनाने वाले किन्ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को इस बात की वारंटी माना जाएगा, कि वह इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है और यदि पूछताछ पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं रखता है तो दीपम अन्य सिविल और आपराधिक उपाय के पूर्वाग्रह के बिना अनुबंध को रद्द कर सकता है और सभी लागत और नुकसान के लिए हस्ताक्षरकर्ता को उत्तरदायी ठहरा सकता है।

15. सुपुर्दगी : खरीद आदेश जारी करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर सारे माल की सुपुर्दगी देनी होगी। सुरक्षित सुपुर्दगी के सभी पहलुओं की विशेष जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी ।

यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित तिथि को या उससे पहले माल की सुपुर्दगी देने में विफल रहता है, तो कुल आदेश मूल्य का अधिकतम 10% के अधीन कुल आदेश मूल्य के 2% प्रति सप्ताह की दर से उस पर जुर्माना लगाया जाएगा ।

यदि अनुबंध के दौरान किसी भी समय, आपूर्तिकर्ता माल को समय पर उपलब्ध कराने में और सेवाएं प्रदान करने में शर्तों की बाधा का सामना करता है, तो आपूर्तिकर्ता तदनुसार तुरंत सुपुर्दगी समय के विस्तार के लिए दीपम को सूचित करेगा। आपूर्तिकर्ता से सूचना प्राप्त होने पर, दीपम यथाशीघ्र स्थिति की जांच करेगा और अपने विवेक पर, आपूर्तिकर्ता के अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए परिनिर्धारित हानि के साथ या उसके बिना अनुबंध में संशोधन जारी करके सुपुर्दगी समय का विस्तार करने के लिए सहमत हो सकता है ।

पैकेज की आपूर्ति के मामले में जब देरी से हुई आपूर्ति का भाग भौतिक रूप से बाधित हो, तब उपरोक्तानुसार खरीद आदेश से संबंधित पैकेज के कुल मूल्य पर परिनिर्धारित हानि के रूप में शुल्क लगाया जाएगा । खरीदार द्वारा परिनिर्धारित हानि की परिकलित मात्रा और वसूली अंतिम होगी और आपूर्तीकर्ता द्वारा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती।

16. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति : सफल निविदाकर्ता को एजेंसी/फर्म के नाम से विधिवत रूप से घोषित **और आहरण एवं संवितरण अधिकारी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003** के पास बंधक किसी भी

राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीद (FDR) या अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी (BG) के रूप में 50,000 रुपये (केवल पचास हजार रुपये) की कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा राशि इस विभाग द्वारा ठेका दिए जाने के 15 दिनों के अंदर जमा करानी होगी। कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा राशि अनुबंध के आरंभ होने की तारीख से एक वर्ष और तीन माह की अवधि के लिए वैध होगी। कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा राशि अनुबंध की सफल समाप्ति से 60 दिनों के बाद लौटाई जाएगी। यदि अनुबंध को आरंभिक अवधि के बाद बढ़ाया जाता है तो सफल बोलीदाता को कार्यनिष्पादन प्रतिभूति का तद्नुसार नवीकरण कराना होगा।

अनुबंध के उल्लंघन या लापरवाही या किसी भी शर्त के अननुपालन की स्थिति में या असंतोषजनक कार्यनिष्पादन या अनुबंध की किसी भी शर्त के अननुपालन की स्थिति में प्रतिभूति जमा को इस विभाग के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है।

17. निरीक्षण :

- क्रेता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एनआईटी विनिर्देशों के अनुरूप अपनी पुष्टि करने के लिए दीपम को सामान का निरीक्षण करने और/या परीक्षण करने का अधिकार होगा।
- माल के अंतिम गंतव्य पर आने के बाद भी उसके निरीक्षण, परीक्षण और, जहां आवश्यक हो, माल को अस्वीकार करने का अधिकार दीपम के पास होगा। किसी भी तरह से उसके इस अधिकार को सीमित या खारिज नहीं किया जा सकता कि माल का निरीक्षण परीक्षण माल के शिपमेंट से पहले दीपम द्वारा किया जा चुका है।
- संयुक्त सचिव (प्रशासन प्रभाग), दीपम को विनिर्देशन और अन्य शर्तों की पुष्टि नहीं करने वाली आपूर्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के लिए अंतिम प्राधिकार होगा।
- अस्वीकृत भण्डार के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। बोलीदाता द्वारा अपनी लागत पर अस्वीकृत वस्तु को अस्वीकृति की तारीख के दो सप्ताह के भीतर हटा दिया जाना चाहिए तथा तत्काल उसका प्रतिस्थापन कर देना चाहिए। यदि इन्हें हटाया नहीं जाता है, तो इन्हें बिना किसी अग्रिम नोटिस के आपूर्तिकर्ताओं के जोखिम और जिम्मेदारी पर नीलाम कर दिया जाएगा।

18. भुगतान अवधि : सामग्री की संतोषजनक सपुर्दगी के बाद निपटान के लिए इस कार्यालय को बिल तीन प्रतियों में भेजा जा सकता है। बिल में वस्तुओं का पूरा विवरण होना चाहिए। सफल बोलीदाता को भुगतान केवल भारतीय रुपये में किया जाएगा।

कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा और न ही काम के आबंटन के आदेश के आधार पर किसी वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की अनुशंसा की जाएगी।

ठेकेदार दीपम की संतुष्टि के अनुसार सामग्री की संतोषजनक सपुर्दगी, स्थापना और चालू करने के बाद ही बिल प्रस्तुत करेगा। मंजूरी प्रदान करने और बिल के भुगतान की कार्रवाई ठेकेदार से पूर्व-प्राप्त बिल के प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी। अस्वीकृत माल के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

19. देरी से भुगतान के मामले में ब्याज का कोई दावा दीपम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. **काम का शिकमी ठेका देना** : फर्म काम या उसके किसी भी हिस्से को दीपम की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी अन्य व्यक्ति या पार्टी को नहीं सौंपेगी या शिकमी ठेके पर नहीं देगी और दीपम यदि वह उचित समझे, ऐसी अनुमति न देने के लिए स्वतंत्र होगा। निविदा हस्तांतरणीय नहीं है। एक बोलीदाता द्वारा केवल एक निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

21. **निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन** : ऊपर उल्लिखित किसी भी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को कोई कारण बताए बिना किसी भी स्तर पर बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और इस दशा में दीपम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। धरोहर राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा।

22. **दिवालियापन आदि** : फर्म के दिवालिया होने या दिवालियापन अधिनियम के तहत अदालत या उनके खिलाफ किसी अन्य आदेश द्वारा रिसीवर नियुक्त होने की स्थिति में या समापन के लिए कंपनी द्वारा किसी संकल्प के पारित किए जाने या या किसी आदेश का निर्माण करने के मामले में, चाहे स्वैच्छिक हो या अन्यथा या फर्म द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट किसी शर्त के अनुपालन में विफल होने की स्थिति में दीपम के पास बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को समाप्त करने की शक्ति होगी।

23. निविदाकर्ताओं को जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। इस शर्त के अननुपालन की स्थिति में निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

24. यदि अतिरिक्त कर देय हो तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए अन्यथा किसी कर, शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

25. वस्तुओं की आपूर्ति विभागीय स्थल पर की जाएगी। इसके लिए कोई परिवहन/ढुलाई शुल्क प्रदान नहीं किया जाएगा।

26. माल के तकनीकी विनिर्देशन के हस्ताक्षरित और मुद्रांकित अनुपालन पत्रक के साथ-साथ तकनीकी मुद्रित साहित्य भी तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

27. **निविदा खोलने वाली समिति द्वारा केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां स्वीकार की गई हों। अपेक्षित मद के लिए निम्नतम बोलीदाता (एल-1) को ही दीपम द्वारा ठेका दिया जाएगा। एल-1 की प्राप्ति के लिए तुलना हेतु**

इस निविदा दस्तावेज के अनुबंध-IV में विक्रेताओं द्वारा उल्लिखित दरों (कुल राशि के विरूद्ध अर्थात 'ग' के मूल्य पर) इस विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

28. निविदा में दी गई वस्तु की मात्रा अस्थायी है, जिसे विभाग की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

29. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज के साथ उसके शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसके प्रत्येक पृष्ठ निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि के प्रमाण के तौर पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और मुहर लगाई जानी चाहिए।

30. बोली (ओं) के उचित मूल्यांकन के बाद दीपम सबसे कम मूल्यांकित प्रतिक्रियात्मक निविदाकर्ता को ठेका दे देगा। सशर्त बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और इसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

31. विभाग के पास बिना कोई कारण बताए प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के प्रति किसी देयता के बिना, चाहे कोई भी हो, निविदाओं को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या किसी एक या अधिक निविदाओं को अस्वीकार करने या ठेका देने से पूर्व किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

32. दीपम के पास बोली के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; और बोलीदाता इसे उद्धृत दरों पर उपलब्ध कराएगा। दीपम के पास सभी निविदाओं/ कोटेशन या निविदा की प्रतिक्रिया में प्राप्त किसी भी या सभी प्रस्तावों को रदद् करने या बिना कोई कारण बताए निविदा सूचना को निरस्त करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है और वह निम्नतम कोटेशन या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

33. लागू कानून :

- इसके शब्दों की व्याख्या सहित इस करार से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी दावे, विवाद और/या मतभेद (इस करार के अस्तित्व, वैधता या समाप्ति से संबंधित विवाद सहित) का समाधान संबंधित पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त चर्चा के माध्यम से किया जाएगा। तथापि, अगर पूर्वोक्त चर्चाओं से विवादों को 30 दिनों की अवधि के भीतर हल नहीं किया जाता है, तो मामले को मध्यस्थता के लिए एक मध्यस्थ को भेजा जाएगा जिसे समझौता अधिनियम, 1996 और इसके तहत किए गए नियमों में संशोधन, संशोधनों और भावी अधिनियम में दिए गए मध्यस्थता के प्रावधानों

के मुताबिक ग्राहक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थल नई दिल्ली होगा और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दलों पर बाध्यकारी होगा।

- **न्यायालय का न्यायिक अधिकार :** यह अनुबंध भारत संघ के कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है और दिल्ली स्थित न्यायालयों के अनन्य न्यायिक क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
- **आकस्मिक घटना :** किसी आकस्मिक घटना के कारण किसी भी देरी के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा।

रिज़वानी

(ए.ए. रिज़वानी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24360163

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस के लिए निविदा

(कंपनी/फर्म के लेटर हेड पर जमा किया जाना है)

<u>अनुबंध - I</u>
<u>तकनीकी विनिर्देशन</u>

वर्णन	**आवश्यकता**
विवरण	सॉफ्टवेयर
मेक एंड मॉडल	माइक्रोसाफ्ट आफिस 2019
लाइसेंस	स्टैण्डर्ड लाइसेंसेस

दिनांक:
स्थान:

नाम:
व्यवसाय का पता :
बोलीदाता के हस्ताक्षर :
बोलीदाता की मुहर :

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस के लिए निविदा

अनुबंध- II

तकनीकी बोली

(अलग सीलबंद लिफाफा - I जिसके ऊपर "तकनीकी बोली" लिखा हो)

क्र.सं.	**निविदाकर्ता/बोलीदाता का विवरण**	**पृष्ठ सं.**	**टिप्पणियां**
1.	निविदाकर्ता / बोलीदाता का नाम और पता		
2.	पूरा पता:		
3.	कृपया स्पष्ट करें कि क्या वह पूर्ण स्वामित्व अथवा भागीदार फर्म अथवा एक कंपनी अथवा सरकारी विभाग अथवा एक सरकारी क्षेत्र का संगठन है		
4.	धरोहर राशि (EMD) का ब्यौरा (हाँ/नही) डीडी सं. : दिनांक : बैंक से आहरित : राशि : (रुपये...)		
5.	क्या एनआईटी के प्रत्येक पृष्ठ और उसके अनुबंध हस्ताक्षरित हैं और उन पर मुहर लगी है		
6.	जीएसटी पंजीकरण की प्रति		
7.	स्थायी खाता संख्या की प्रति		
8.	ईमेल आईडी		
9.	संपर्क नं.		

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)
फर्म/कंपनी की मुहर के साथ

दिनांक :
स्थान :

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस के लिए निविदा

<u>अनुबंध-III</u>

<u>प्रमाण पत्र</u>

(कंपनी/फर्म के लेटर हेड पर जमा किया जाना है)

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त फर्म को किसी भी कारण केंद्रीय/किसी राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/विभाग द्वारा कभी भी काली सूची में नहीं डाला गया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि फर्म विभाग द्वारा दिए गए विनिर्देशन के अनुसार मदों की आपूर्ति करेगी और निविदा में निर्धारित सभी निबंधनों और शर्तों का पालन भी करेगी।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि बोली में दी गई जानकारी सभी पहलुओं में सत्य और सही है और यदि बाद में कभी भी यह पाया जाए कि उपलब्ध कराया गया कोई भी विवरण असत्य और गलत है तो संबंधित फर्म को दिया गया कोई ठेका किसी भी चरण पर सरसरी तौर पर समाप्त किया जा सकता है। फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा और विभाग एनआईटी के नियमों के अनुसार कोई भी जुर्माना लगा सकता है।

दिनांक:

स्थान:

नाम:

व्यवसाय का पता :

बोलीदाता के हस्ताक्षर :

बोलीदाता की मुहर :

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस के लिए निविदा

अनुबंध-IV

वित्तीय बोली

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस के लिए निविदा

(कंपनी/फर्म के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना)

क्र. सं.	नाम	प्रति इकाई दर (सभी करों को छोड़कर) (रु.) (क)	प्रति इकाई जीएसटी (रु.) (ख)	प्रति इकाई कुल राशि (सभी करों सहित) (रु.) (ग = क+ख)
1.	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 स्टैण्डर्ड लाइसेंस			
आंकड़ों में प्रति इकाई कुल राशि (सभी करों और अन्य प्रभार को मिलाकर) ग = क+ख				
शब्दों में प्रति इकाई कुल राशि (सभी करों और अन्य प्रभार को मिलाकर) ग = क+ख				

1. मैंने/हमने निविदा जांच दस्तावेज में निर्धारित निबंधनों और शर्तों को पढ़ लिया है और उनको स्वीकार करने और उनका पालन करने की पुष्टि करतें हैं।

2. विभाग द्वारा कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।

दिनांक:

स्थान:

नाम:

व्यवसाय का पता:

बोलीदाता का हस्ताक्षर:

बोलीदाता की मुहर: